राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(46) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाईजी/एम–1/जीओआई/2017–18 जयपुर, दिनांक **21** मार्च, 2018

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान कर शामिल किये जाने के क्रम में।

प्रसंग :– विभागीय पत्र, 22.02.2018 एवं 16.03.2018 एवं **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक** J-11060/14/2017-RH(M&T) dated 19-03-2018

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) के कियान्वयन का फ्रेमवर्क के अनुबंध–1 में योजना की पात्रता हेतु स्थाई वरीयता सूची में जोडे जाने के मापदण्ड वर्णित है। उक्त सम्बन्ध में ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 24.1.2018 द्वारा उक्त कार्य सम्पादन में समान मापदण्ड की पालना बाबत् निर्धारित प्रक्रिया के क्रम में प्रासगिक पत्र द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत कियान्वयन का फ्रेमवर्क के बिन्दु संख्या 3.3.1 मे प्रशासनिक मद से अनुमत गतिविधियां वर्णित है। योजनान्तर्गत पात्र परिवारों (Households) की पहचान किये जाने हेतु यथोचित स्थानीय प्रभावी माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे, जिससे सभी पात्र वंचित परिवार योजना की वरीयता सूची में जुडने हेतु अपील /प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सके।

ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता रखने वाले लाभार्थियो, जिनके नाम योजना की तैयार की गई अंतिम वरीयता सूची में शामिल नहीं है, के चयन किये जाने के संबंध में अपनाई जाने वाली सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर पहचान एवं योग्यता के निर्धारण उपरान्त पात्र परिवारों की तैयार सूची प्रेषित करने की अवधि 31 मार्च के स्थान पर अन्तिम दिनांक 30.06.2018 निर्धारित की गई है। इस क्रम मे ग्राम सभा से अनुमोदित पात्र परिवारो के वर्तमान आवास व प्रस्तावित स्थल की जिओं टैंग फोटो एवं अन्य जानकारी अपलोड कर सम्पूर्ण प्रक्रिया आवास सॉफ्ट पर मोबाईल एप ''आवासएप प्लस'' के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की जानी है। साथ ही विशेष उल्लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''आवासएप प्लस'' मोबाईलएप का टेस्ट बेटा वर्जन भी जारी किया जा चुका है। अतः पंचायत समितिवार कम से कम एक मोबाईल नम्बर मय G-mail आईडी भी विभाग को प्रेषित कराने हेतु निर्देशित करावें, जिससे एप से

कार्य करने में भविष्य में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण एप के जारी होने से पूर्व ही ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से करवाया जा सकें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक J-11060/14/2017-RH(M&T) dated 19-03-2018 की पालना मे प्रासंगिक पत्र दिनांक 22.2.18 द्वारा गतिविधिवार निर्धारित समयावधी के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित समयावधि निर्धारित की जाती है :–

क्र.सं.	नाम गतिविधि	निर्धारित दिनांक
1.	वंचित पात्र व्यक्ति से अपील/प्रार्थना पत्र प्राप्त करना एवं	16.04.2018 तक
2.	पूर्व में प्राप्त विचाराधीन अपीलें एवं जिला स्तर/ब्लॉक स्तर पर प्राप्त नवीन अपीलों को ग्राम पंचायतवार सूचीबद्ध कर ग्रामसभा से अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना	
3	ग्रामसभाओं का आयोजन (प्रासंगिक पत्र अनुसार यदि ग्राम सभा आयोजित हो गई हो तो भी नये प्रार्थना पत्र/अपीलों सहित पुनः ग्राम सभा आयोजित की जावे)	16.04.2018 से 30.04.2018 तक
4	ब्लॉक स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त अभिशंषा के साथ सूची जिला कियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट कमेटी को प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में "आवास प्लस" द्वारा ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण अपलोड करना।	21.05.2018 तक
5	जिला कियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त अभिशंषा के साथ सूची विभाग को प्रस्तुत करना एवं "आवास प्लस" पर प्रस्तावित सूची अपलोड करना।	5.06.2018 तक

निर्धारित समस्त प्रकिया को पूर्ण करने के कम में दिनांक 16.04.2018 से 30.04.2018 तक ग्रामसभाए आयोजित किये जाने के आदेश जारी करवावें। उल्लेखनीय है कि पूर्व आदेशों की अनुपालना में यदि ग्रामसभाएं आयोजित हो गई हो, उन ग्रामपंचायतों में भी अन्य छूटें हुए वंचित पात्र परिवारों से प्रार्थना–पत्र आमंत्रित करते हुए दिनांक 16.04.2018 से 30.04.2018 तक की अवधि में पुनः ग्रामसभाएं आयोजित की जावें।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में पुनः निर्देश है कि पूर्व में जिला स्तर पर विचाराधीन अपीले एवं प्राप्त नवीन अपीलो का प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करने वाले परिवारों की पहचान व जोडे जाने की उक्त वर्णित प्रकिया की शत–प्रतिशत पालना करवाते हुए दिनांक 5.06.2018 तक पूर्ण कर राज्य को सूची प्रेषित करे, जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य स्तर से सक्षम परीक्षण/अनुमोदन उपरान्त सूची प्रेषित की जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

21/3/18

(रोहित कुमार)
शासन सचिव, ग्रा.वि.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सहायक, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव एंव आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ महात्मा गांधी नरेगा।
12. निजी सचिव, आयुक्त, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राजस्थान।
13. निदेशक (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
14. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त राजस्थान ।
16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

J-11060/14/2017-RH(M&T)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 19th March 2018

To

The Addl. Chief Secretaries /Principal Secretaries/Secretaries (RD)
All State Governments / UT Administrations dealing with PMAY-G

Subject : Identification of additional beneficiaries for inclusion in Permanent Wait List of PMAY-G – Extension of deadline for completing the exercise - Reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter bearing No. J-11060/16/2017-RH(M&T) dated 24th January, 2018 (copy enclosed) on the above mentioned subject and to say that based on the requests and concerns expressed by the States during the video conference held on 13th February, 2018, the time line that has been specified in the letter for completing the entire exercise of identification of beneficiaries has been extended to 30th June, 2018.

2. It is requested that all the States / UT's may adhere to the above prescribed time lines so that requisite action on the part of Ministry of Rural Development can be initiated.

Yours faithfully,

Encl: As above.

Behera

(B.C. Behera)
Director
Tel: 23388823

J-11060/16/2017-RH(M&T)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 24th January 2018

To

The Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries
Department of Rural Development,
All State Governments / UT Administrations

Subject: **Identification of additional beneficiaries for inclusion in the Permanent Wait List of PMAY-G – Procedure to be adopted reg.**

Sir / Madam,

You are aware that the Framework for Implementation of PMAY-G provides for identification of households who, though eligible for assistance under PMAY-G as per the specified parameters have not been included in the Permanent Wait List. Further, Ministry of Rural Development has also issued an advisory to all the States / UTs vide letter No. J-11012/02/2016-RH, dated 6th July, 2017 to identify such left out households and upload the identified households on AwaasSoft. Accordingly, various State Governments have initiated the process of identification of households who though eligible have not been included in the PWL of PMAY-G and also uploaded the details on AwaasSoft.

2. In this connection, it is stated that in order to ensure a uniform criteria for identification of such households is followed all through out the country, the following procedure has been prescribed :-

I. States / UT to ensure the following while identification of the eligible households under PMAY-G

a. The households should either be houseless or living in zero, one and two room house with kutcha wall and kutcha roof as per SECC data.

b. The identified households should not fulfil any one of the 13 exclusion parameters specified in SECC-2011 and mentioned in Annexure-I of the FFI.

c. The definition of kutcha roof would mean "Roof made of Grass/Thatch/Bamboo etc., plastic / polythene, and hand made tiles) and kutcha wall would mean "Wall made of Grass/Thatch/Bamboo etc., plastic /